राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला–भीलवाडा

अधिकारी :– महीपाल सिंह आर0ए0एस0

संख्या :– 73/2021 प्रा0 पत्र

भवंर लाल पुत्र मोहन लाल जाति कुमावत उम्र बालिग नि0 चिलेश्वर

प्रार्थी........

बनाम

खुबालाल पुत्र चुना जाति बलाई उम्र बालिग नि0 चिलेश्वर व अन्य

विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: दिनांक 06/04/2021

र्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत न किया कि ग्राम चिलेश्वर पटवार हल्का चिलेश्वर तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त आराजी नम्बर खाता संख्या 449 आ0न0 2755/1744 कुल किता 1 रकबा.........हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/तें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12/03/2021 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को र्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी देशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते क की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

र्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम चिलेश्वर पटवार हल्का चिलेश्वर तहसील करेड़ा में स्थित आराजी ता संख्या 449, आ0न0 2755/1744 कुल किता 1 रकबा............हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु लेख निरीक्षक गोरखा को 600 /– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त ता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करा... [illegible] ...र फीस जमा होने पर पक्षकारान रगी में मौके व कब्जे की यथारिथति को बनाये रखते हुये ... [illegible] ...ग को आधार मानकर की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.20 15:44:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा